

# झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

## स्वयं सहायता समूह को ऋण सहायता हेतु समूह द्वारा बैंक शाखा को प्रस्तुत किये जाने वाला ऋण आवेदन पत्र

स्वयं सहायता समूह का नाम : .....

पता : .....

गठन/स्थापना की दिनांक : .....

पंजीकरण की स्थिति : हॉ/नहीं - .....

यदि पंजीकृत है तो पंजीयन संख्या व दिनांक : .....

(पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि भी संलग्न करें)

समूह के सदस्यों की संख्या : .....

समूह को सहायता देने वाले एस. एच. पी. आई/ : .....

एन. जी. ओ./वी. ए. का नाम यदि कोई हो।

सेवामें,

दिनांक :- .....

शाखा प्रबन्धक,

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,

शाखा .....

प्रिय महोदय,

ऋण हेतु आवेदन पत्र

हम, उपर्युक्त स्वयं सहायता समूह के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने हेतु कुल रुपये ..... रुपये ..... मात्र के ऋण हेतु आवेदन कर रहे हैं। हमारे समूह का वित्तीय विवरण दिनांक ..... की यथास्थिति के अनुसार संलग्न शीट में दिया गया है।

- 1 हमारे स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक की नोमिनल सदस्यता दिनांक ..... को ग्रहण की जा चुकी है/नोमिनल सदस्यता हेतु आवेदन पत्र संलग्न है।
- 2 हम बैंक द्वारा यथा निर्धारित चुकौती अनुसूची के अनुसार ऋण राशि की चुकौती करने के लिये सहमत हैं।

- 3 समूह के सभी सदस्यों द्वारा सम्पादित परस्पर करारनामा की प्रतिलिपि संलग्न है। जिसने अन्य बातों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह की ओर से हो उधार होने का भी अधिकार प्राप्त है।
- 4 हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि ऊपर दिये गये सभी विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
- 6 हम एतद्द्वारा बैंक को यह प्राधिकृत करते हैं कि वे जैसा उचित समझें अपने बैंक में हमारे ऋण खाते से सम्बन्धित कोई विवरण या सूचना दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि./नाबार्ड सहित किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य एजेन्सी को प्रकट कर सकते हैं। यदि इसके साथ दी गयी समूह से सम्बन्धित कोई भी सूचना गलत पाई जाती है और/अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक को यह अधिकारी होगा कि यह बैंक से ऋण सुविधायें प्राप्त करने से स्वयं सहायता समूह को अयोग्य करार दे सकता है और/अथवा इस आवेदन के तहत स्वीकृत सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को वापस मांग सकता है।

भवदीय/या

1 .....

2 .....

(प्राधिकृत प्रतिनिधि)

स्वयं सहायता समूह .....

वित्तीय विवरण दिनांक ..... की यथास्थिति के अनुसार

क्र.स.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	सदस्यों से बचत	
2	एन. एच. बी. आई. / एन.जी.ओ. / बी.ए. से प्राप्त सीड मनी (यदि कोई हो)	
3	बकाया उधार (कृपया ग्रोथ स्पष्ट करे)	
4	सदस्यों के समक्ष बकाया ऋण	
5	सदस्यों से चूक की राशि (यदि कोई हो)	
6	वसूली का प्रतिशत	
7	रोकड़ / बैंक में जमा	

वास्ते ..... स्वयं सहायता समूह

अध्यक्ष

सचिव

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित किये जाने हेतु परस्पर करारनामा

यह करारनामा सन ..... के ..... माह ..... दिन को –

- 1 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 2 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 3 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 4 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 5 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 6 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 7 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 8 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 9 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 10 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 11 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 12 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 13 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 14 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 15 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....

- 16 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 17 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 18 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 19 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....
- 20 श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष ..... आवासीय पता .....

जो ..... समूह के सदस्य है तथा जिन्हे एतदपश्चात सामूहिक रूप में " स्वयं सहायता समूह के सदस्य" कहा गया है के बीच सम्पादित किया गया है। "स्वयं सहायता समूह के सदस्य" कथन में, जब तक प्रसंग या तात्पर्य के अनुसार अन्यथा अभिप्रेत न हो, उक्त स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य उसके सम्बन्धित विधिक उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल है। अतः स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य सभी सदस्य ..... राज्य के ..... पंचायत समिति ..... गांव के निवासी है और एक दूसरे से परिचित है।

अतः ऊपर उल्लेखित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने स्वेच्छा से मिलकर एतदपश्चात उल्लेखित शर्तों के अनुसार आपसी हितों के लिये बचत, ऋण और अन्य आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिये एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है।

अतः अब यह करारनामा इस प्रकार साक्ष्यांकित किया जाता है -

- 1 स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य रु. .... रु. .... मात्र की राशि अथवा समूह द्वारा जो राशि निश्चित की गई हो, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/ आधार पर समूह के प्राधिकृत सदस्य के पास जमा करेगा।
- 2 हर सदस्य स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिये प्रयत्न करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो स्वयं सहायता समूह के व्यावसायिक हितों के विरुद्ध हो।
- 3 स्वयं सहायता प्रसंविदा किये गये सभी प्रकार के ऋणों के लिये उसके सदस्य संयुक्त रूप और पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 4 स्वयं सहायता समूह द्वारा अर्जित की गयी सभी परिसम्पतियां समूह के सभी सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में रहेगी सामान्यतः किसी ऐसे सदस्य की अभिरक्षा में रहेगी। जिसे समूह द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। ये परिसम्पतियां ..... स्थित कारोगार के स्थान पर रखी जायेगी। उस स्थान को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

5 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से –

श्री/श्रीमती ..... को ..... रूप में  
श्री/श्रीमती ..... को ..... रूप में  
श्री/श्रीमती ..... को ..... रूप में

(कोई भी पदनाम रखा जावे) चुना है एवं नियुक्त किया है जो स्वयं सहायता समूह की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की व्यवस्था में संचालन करेंगे और उससे सम्बन्धित सभी प्रकार के मामलों में उसकी ओर से तथा उसके नाम से कार्य करेंगे। तथापि प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किसी भी समय सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है और उसी प्रकार नये प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।

6 स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य एतद्द्वारा ऐसे सभी कार्यों और विलेखों का अनुसर्जन और अनुपालन करने के लिये सहमत हैं जो प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त गतिविधियों के हितों की रक्षा के लिये करते हैं।

7 प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह के दैनिक मामलों की देखभाल करने में, विशेषकर निम्नलिखित गतिविधियों के निष्पादन में, सक्रिय रूप से भाग लेना। स्वयं सहायता का प्रत्येक सदस्य एतद्द्वारा अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करता है कि वे स्वयं सहायता समूह की ओर से ऋण हेतु आवेदन करें और इस प्रयोजन हेतु समूह की ओर से यथावश्यक करार/प्रलेख सम्पादित करें। प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह की ओर से बैंक के निर्णयों के अनुसार उसमें से सदस्यों को ऋण प्रदान करें तथा ऋण की किस्तों की वसूली की राशि को बैंक के पास स्वयं सहायता समूह की ऋण खातों में जमा करें।

8 स्वयं सहायता समूह के सदस्य एतद्द्वारा प्रतिनिधियों को निम्नलिखित कार्यों के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करते हैं।

(अ) स्वयं सहायता समूह द्वारा अनुमोदित ..... बैंक के बचत खाता, मियादी जमा और अन्य खाता खोलना और उसे निम्नलिखित प्राधिकृत में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से संचालन करना।

श्री/श्रीमती ..... पद .....

श्री/श्रीमती ..... पद .....

श्री/श्रीमती ..... पद .....

(ब) स्वयं सहायता समूह द्वारा किये गये बचतों, उन्हें प्रदान किये गये ऋणों, उनके प्राप्त वसूलियों के सम्बन्ध में उचित एवं व्यवस्थित खाता वही तैयार रखना या रखवाना तथा प्रतिवर्ष सम्पूर्ण लेखा को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के समक्ष उनके अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

(स) स्वयं सहायता समूह को देय सभी प्रकार के भुगतान प्राप्त करना और समूह की ओर अपेक्षित रसीदे या पावतियां जारी करना।

(द) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की ओर से कोई विधिक कार्यवाही शुरू करना या प्रतिवाद करना तथा सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करना और इस प्रयोजन हेतु किसी अधिवक्ता, वकील या अभिकर्ता को लगाना या उसे नियुक्त करना तथा इनसे सम्बन्धित सभी प्रकार के विधिक व्ययों को वहन करना।

9 स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के दिवंगत हो जाने पर उसका विधिक उत्तराधिकारी सुविधाओं का हकदार होगा तथा करारनामा के अन्तर्गत मृतक सदस्य की सभी प्रतिबाध्यताओं के लिये भी जिम्मेदार होगा।

10 करार दिया जाता है कि वर्तमान सभी सदस्यों की सहमति के बिना स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में किसी नये व्यक्ति को शामिल नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य में स्वयं सहायता समूह के पूर्वोक्त सदस्यों ने सन ..... के माह के ..... दिन को ..... स्थान पर अपने-अपने हस्ताक्षर/अगुठा निशान दर्ज करें।

..... स्वयं सहायता समूह

हस्ताक्षर/अगुठा निशान

सदस्य का नाम –

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....
- 7 .....
- 8 .....
- 9 .....
- 10 .....
- 11 .....
- 12 .....
- 13 .....
- 14 .....
- 15 .....
- 16 .....
- 17 .....
- 18 .....

19

.....

20

.....

वास्ते ..... स्वयं सहायता समूह

अध्यक्ष

सचिव

साक्षी / गवाह / जमानतदार

1.

2.

नोट – स्वयं सहायता समूह में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।



## स्वयं सहायता समूह को वित्त प्रदान करते समय बैंकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले करार

### के शर्तों का फार्मेट

मैसर्स ..... (स. स. स. का नाम)

लोगों/व्यक्तियों का एक गैर-पंजीकृत समूह, जिसका कार्यालय .....

..... में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री/श्रीमती

..... (नाम) ..... (पदनाम) और श्री/श्रीमती

..... ने विषय जो स्व. स. स. के सभी सदस्यों द्वारा पूर्ण रूपेण प्राधिकृत

है। इस प्रकार के प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है और वह इस करार का एक भाग

है (जिसे इसके आगे "ऋणकर्ता" कहा गया है, उसके विषय या विषयवस्तु में अब तक कोई प्रतिकूल

अभिव्यंजन न हो) का अर्थ और उसमें तत्समय गैर पंजीकृत समूह के सदस्य, उनके सम्बन्धित

उत्तराधिकारी, कानूनी वारिस, प्रशासक और समुनदेशित शामिल है, एक पक्ष और .....

..... और के

अन्तर्गत स्थापित ..... झुंझुनू

केन्द्रीय सहकारी बैंक एक कारपोरेट निकाय, जिसका प्रधान कार्यालय झुंझुनू और साथ ही साथ जिसकी

एक शाखा ..... में है, जिसे इसमें आगे "बैंक" कहा गया है उसके विषय

या विषय वस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यजना न हो, अर्थ और उसमें उत्तराधिकारी और

रामनुदेशित है, दूसरे पक्ष के द्वारा और के बीच ..... में वर्ष .....

..... दिन वह करार किया गया। यथा ऋणकर्ता लोगों की एक गैर पंजीकृत संस्था है, जो

अपने सदस्यों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों को विकसित करने और सुधारने की दृष्टि से स्वयं सहायता

समूह के रूप में एक दूसरे को परस्पर सहायता देने के लिये सहमत हुये है। यह स्वयं सहायता समूह के

रूप में बनाने पर ऋणकर्ताओं ने दिनांक ..... को संकल्प (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुशरण में

ऋण लेने के लिये विधिवत प्राधिकृत उक्त श्रीमती ..... (नाम) .....

(पदनाम) और श्रीमती ..... (नाम) ..... (पदनाम) द्वारा किये

गये आवेदन के अनुसार बैंक से अनुरोध किया है कि वे ..... का ऋण प्रदान करें। रुपये

..... (अक्षरे ..... मात्र) तक की सीमा तक ऋण सुविधा

प्रदान करें जिसमें से वे अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करेंगे और यथा बैंक ऋणकर्ता को कुछ शर्तों पर

ऋण प्रदान करने/ऋण सुविधा प्रदान करने के लिये सहमत हो गया है और यथा, बैंक और ऋणकर्ता

समस्त शर्तों को लिपिबद्ध करने के इच्छुक है। अतः यह करार निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

1. बैंक रुपये ..... (अक्षरे .....) मात्र तक मियादी ऋण/नगद ऋण

(विजमानती) सीमा के रूप में पूर्ण प्रदान करने और ऋणकर्ता ऋण लेने के लिये सहमत है और बैंक

अपने बही खाते में ऋणकर्ता के नाम से ऋणकर्ता ऋण लेने के लिये सहमत है और बैंक अपने बही

खाते में ऋणकर्ता के नाम से दिनांक ..... को (खाते के प्रकार का उल्लेख करें) खाता संख्या ..... खोला है।

2. यदि नकद ऋण सुविधा का उपयोग किया जाता है तो ऋणकर्ता संतोषप्रद ढंग से और सीमा के अधीन नकद ऋण खाते का परिचालन करेगा और ऋणकर्ता ब्याज सहित खाते में बकाया देयता और समय-समय पर नामे किये गये अन्य प्रभारों की चुकौती मांग किये जाने पर बिना किसी आपत्ति के करेगा।
3. यदि लिये गये मांग ऋण है, मांग पर ऋण वापस मागने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऋणकर्ता संस्वीकृति की शर्तों में निर्धारित अवधि के भीतर ब्याज सहित ऋण और अन्य प्रकारों की चुकौती करने का चयन देता है। (जो लागू न हो उसे काट दे)
4. यदि ऋणकर्ता द्वारा उपयोग की गयी ऋण सुविधा मियादी ऋण है तो उसकी चुकौती इसमें नीचे दी गयी चुकौती अनुसूची में उल्लेखित ढंग से की जायेगी (उल्लेख करें) इसके अतिरिक्त, ऋणकर्ता इस प्रकार के ऋण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।
5. ऋणकर्ता स्वयं सहायता समूह एवं इसके समस्त सदस्यों पर पृथक-पृथक रूप से राजस्थान राज्य सहकारिता अधिनियम 1965 के समस्त प्रावधान लागू होंगे एवं बैंक को इन प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली सम्बन्धी कार्यवाही स्वयं सहायता समूह तथा इसके प्रत्येक ऋणी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप में करने का अधिकार होगा।
6. इसके दोनों पक्षों और उनके बीच यह स्पष्ट समझौता हुआ है कि यदि ऋणकर्ता ऋण सुविधा की राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिये करने में असफल रहता है जिस प्रयोजन के लिये बैंक ऋणकर्ता की यह सुविधा उपलब्ध कराता है तो ऋणकर्ता अन्य कानूनी कार्यवाही करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मांग पर ब्याज के साथ बिना किसी प्रकार की आपत्ति के तत्काल चुकौती करेगा।
7. ऋण दाता, बैंक झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक/शीर्ष बैंक को एवं नाबार्ड के अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऋणकर्ता स्वयं सहायता समूह के समस्त रिकार्ड का निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
8. ऋणकर्ता का खाते से दैनिक शेष पर परिचालन किये जाने वाले और उससे किस्तों के आधार पर नीचे दिये जाने वाले ऋण पर या बैंक जिस तरह निर्णय करें, इसका भुगतान करेगा।
9. ऋणकर्ता उनके सदस्यों और उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिये ऋण सुविधा की राशि का उपयोग करेगा।
10. ऋणकर्ता उपयोग किये गये ऋण की राशि की चुकौती साथ ही इस प्रकार के ऋणों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।

11. ऋणकर्ता, बैंक के नियमों के अनुसार ऋणकर्ता द्वारा बैंक को देय ब्याज और अन्य प्रकारों के साथ मांग पर ऋण की राशि की चुकौती करने के लिये बाध्य होगा।

चुकौती अनुमति (कृपया उल्लेख करें)

इसके दोनों पक्षों ने साक्ष्य स्वरूप शुरु में उपर लिखित दिनांक ..... मास ..... वर्ष ..... को हस्ताक्षर किये।

..... स्वयं सहायता समूह

शाखा प्रबन्धक

शाखा .....

1. प्राधिकृत प्रतिनिधि
2. प्राधिकृत प्रतिनिधि
3. प्राधिकृत प्रतिनिधि

विषय :- समूह द्वारा समिति की नॉमिनल सदस्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में निवेदन।

श्रीमान प्रबन्ध निदेशक,

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू।

व्यवस्थापक,

..... ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., .....

पंचायत समिति ..... जिला झुंझुनू।

प्रिय महोदय,

बैंक शाखा ..... के कार्यक्षेत्र में स्थित ..... समिति के क्षेत्र के ..... निवासियों, जिनकी सूची संलग्न है, द्वारा एक स्वयं सहायता ..... के नाम से बनाया है। समूह के सदस्यों के मध्य निष्पादित करारनामे व उपनियमों की प्रति संलग्न करते हुए हम चयनित/अधिकृत प्रतिनिधि (1) ..... (2) ..... (3) ..... बैंक शाखा ..... / ..... ग्राम सेवा सहकारी समिति से सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उधार प्राप्त करने के प्रयोजन से ..... स्वयं सहायता समूह को समिति के नोमिनल सदस्य बनने व समूह का बचत खाता खोलने हेतु आवेदन करते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्रू ने समिति के नियम, शर्तें एवं प्रावधान पढ़ एवं समझ लिये हैं तथा इसकी पूर्ण पालना की जायेगी व इनमें अंकित कोई भी सदस्य किसी अन्य समूह का सदस्य नहीं है एवं इन पर किसी भी वित्तीय बैंक का ऋण/अवधिपार (डिफाल्टर) नहीं है।

इस प्रयोजन हेतु समूह की ओर से आवश्यक सदस्यता शुल्क नियमानुसार बतौर हिस्सा राशि जमा कराने हेतु एवं खाते का संचालन करने हेतु अधिकृत करते हैं। इनमें से किन्हीं दो अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संचालन कियका जायेगा।

यह भी निवेदन है कि समूह के द्वारा निम्न रिकार्ड निर्धारित प्रारूप में प्रचलित कर रखा है जो हम निम्न अधिकृत प्रतिनिधियों के पास मौजूद व सुरक्षित है एवं बैंक/नाबार्ड/अपेक्स बैंक व अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/जांच हेतु चाहे जाने पर उपलब्ध करा देंगे।

1	प्रवेश रजिस्टर	4	बचत रजिस्टर
2	उपस्थिति रजिस्टर	5	ऋण रजिस्टर
3	कार्यवृत्त (कार्यवाही) रजिस्टर	6	जनरल रजिस्टर

हस्ताक्षर अधिकृत प्रतिनिधि

1	श्री .....	पत्नी श्री .....	पता .....
2	श्री .....	पत्नी श्री .....	पता .....
3	श्री .....	पत्नी श्री .....	पता .....

दिनांक .....

## प्रस्ताव

(समिति के माध्यम से ऋण वितरण की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे)

नकल प्रस्ताव संख्या प्रबन्ध कार्यकारिणी ..... ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., ने दिनांक ..... को पारित किया।

क्र.स.	प्रस्ताव	निर्णय
1	झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा ..... से स्वयं सहायता समूह के तहत ऋण देने पर विचार।	समिति क्षेत्र में गठित ..... स्वयं सहायता समूह को अपनी बचत राशि का ..... गुना तक ऋण राशि देने हेतु झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा ..... से निवेदन किया जावे कि हमारी समिति को रु. .... का ऋण समूह हेतु वितरण कर देवे। जिनके अन्तर्गत समिति आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त कर अदायगी करती रहेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि ऋण संबंधी समस्त दस्तावेज समिति व्यवस्थापक बैंक शाखा को पूर्ण कर उपलब्ध करावे।
2	झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा ..... से लिये जाने वाले ऋण सम्बन्धी दस्तावेज भरने व हस्ताक्षर करने का अधिकार दिये जाने पर विचार।	निर्णय हुआ कि समिति की ओर से बैंक से लिये जाने वाले ऋण सम्बन्धी समस्त दस्तावेज भरने व उन पर हस्ताक्षर करने का अधिकार निम्नलिखित पदाधिकारियों को सम्मिलित रूप से दिया जाता है जिसके हस्ताक्षर नमूना बैंक को भेज दिये जावे।

क्र.स.	नाम सदस्य	पिता का नाम	पद
1	श्री .....	श्री .....	.....
2	श्री .....	श्री .....	.....
3	श्री .....	श्री .....	.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव सही है और समिति की कार्यवाही रजिस्टर में पृष्ठ संख्या ..... पर अंकित है, जो समिति में सुरक्षित है।

अध्यक्ष

व्यवस्थापक

प्रमाणित हस्ताक्षर

सहा. अधि. अधि./ऋण पर्यवेक्षक

शाखा .....

JHUNJHUNU KENDRIYA SAHAKARI BANK LTD., JHUNJHUNU


**DEMAND PROMISSERY NOTE**

Rs. ....

On demand we ..... SHG .....  
promise to pay Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch  
..... or order the sum of Rs ..... (Rupess  
..... only) with interest @ ..... % Per annual  
with half – yearly / quarterly rests for the value received.

Place : .....

Date : .....



## ..... स्वयं सहायता समूह .....

आज दिनांक ..... को ..... स्वयं सहायता समूह ..... की बैठक श्रीमती  
....., अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किये गये

प्रस्ताव	निर्णय																								
<p>प्रस्ताव : -</p> <p>1) झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू की शाखा ..... से ऋण लेने पर विचार।</p>	<p>सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समूह की सभी सदस्यान से चर्चा करने के बाद सभी की ऋण आवश्यकता/ सभी की ऋण जरूरतों पर ध्यान दिया गया तथा सर्व सम्मति से निम्न सदस्यों की जरूरतों को आवश्यक माना गया है। तदपश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्न प्रकार से बैंक से ऋण आवेदन किया जावे :-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">क्र.स.</th> <th style="width: 50%;">नाम ऋण चाहने वाले सदस्य का</th> <th style="width: 20%;">उद्देश्य</th> <th style="width: 20%;">राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>अतः उपरोक्तानुसार रु. .... (अक्षरे ..... .....) का ऋण स्वीकृति हेतु बैंक को ऋण आवेदन पत्र का प्रस्तुत किये जाने बाबत सभी की सहमति रही। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि ऋण की मासिक किस्त मय ब्याज के बैंक में जमा करवा दी जावेगी तथा ऋण अदायगी की जिम्मेदारी समूह के समस्त सदस्यों की रहेगी।</p> <p>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समूह की सभी सदस्यों के साथ-साथ ऋण आवेदन पर हस्ताक्षर करने का अधिकार श्रीमती ..... ..... अध्यक्ष एवं श्रीमती ..... सचिव को संयुक्त रूप से दिये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	क्र.स.	नाम ऋण चाहने वाले सदस्य का	उद्देश्य	राशि	1				2				3				4				5			
क्र.स.	नाम ऋण चाहने वाले सदस्य का	उद्देश्य	राशि																						
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
	समूह की महिलाओं के नाम, पता एवं हस्ताक्षर																								
क्र.स.	नाम मय पता	हस्ताक्षर एवं अगुठा निशानी																							
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									

प्रस्ताव प्रमाणित

प्रति हस्ताक्षरित

महिला पर्यवेक्षक/सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक

शाखा प्रबन्धक

शाखा ..... ।

शाखा .....

## समूह की ग्रेडिंग के संबंध में विवरण

क्र.स.	घटक	प्रमुख संकेतक	अंक	प्राप्त अंक
1	एक रूपता	क) 80 प्रतिशत से अधिक सदस्य ख) 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत ग) 60 प्रतिशत से कम	10 5 2	
2	समूह नियमावली	क) बनाई एवं लिखित ख) समूह नियम पूर्ण नहीं ग) समूह नियम बनाएँ नहीं	10 5 2	
3	समूह गठन जरूरत एवं उद्देश्य की जानकारी	क) सभी सदस्यों को मालूम ख) पदाधिकारियों को एवं कुछ सदस्यों को मालूम ग) केवल पदाधिकारियों को मालूम	10 5 2	
4	बैठक आयोजन एवं उपस्थिति	क) नियमित (90 प्रतिशत) ख) अनियमित (70 प्रतिशत) ग) कभी-कभी (70 प्रतिशत से कम)	10 5 2	
5	बचत राशि नियमितता	क) 100 प्रतिशत सदस्यों से समय पर ख) 70 प्रतिशत सदस्यों द्वारा समय पर ग) 70 प्रतिशत सदस्यों से कम	10 5 2	
6	आन्तरिक ऋण	क) एकत्रित राशि का 70 प्रतिशत ख) एकत्रित राशि का 50 प्रतिशत से कम ग) बिलकुल नहीं	10 5 2	
7	बचत बैंक खाता संचालन	क) नियमित ख) अनियमित ग) केवल खाता खुला है	10 5 2	
8	साधारण रिकार्ड संधारण	क) गठन के साल पूर्ण ख) गठन के 4 महीने के अन्दर ग) रिकार्ड अपूर्ण	10 5 2	
9	आन्तरिक ऋण की चुकोती आदि	क) 100 प्रतिशत ख) 70 प्रतिशत ग) 70 प्रतिशत से कम	10 5 2	
10	ऋण उपभोग, चुकोती आदि	क) सभी सदस्यों से कम ख) कुछ सदस्यों को मालूम ग) केवल पदाधिकारियों को मालूम	10 5 2	



रेटिंग-

क) 80 प्रतिशत या अधिक	-	ए ग्रेड	1. बचत का 7 गुना से 10 गुना तक अधिकतम 3.00 लाख तक
ख) 70 प्रतिशत से 79.99 प्रति.	-	बी ग्रेड	2. बचत का 4 से 6 गुना तक अधिकतम 2.50 लाख तक
ग) 60 प्रतिशत से 69.99 प्रति.	-	सी ग्रेड	3. सदस्यों की बचत का 4 गुना अधिकतम 2.00 लाख तक
घ) 60 प्रतिशत से कम	-	खराब	4. बैंक वित्त से कड़ीबंधित नहीं किया जाना चाहिये।

उक्तानुसार समूह की ग्रेडिंग ..... निर्धारित है।

हस्ताक्षर मय सील

प्रति हस्ताक्षरित

सहा. अधि. अधि./ऋण पर्यवेक्षक

शाखा प्रबन्धक

शाखा .....

शाखा .....

# झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

क्रमांक :-जेकेएसबी/आवि/2015-16/

दिनांक :-

अध्यक्ष/सचिव,  
कल्पना स्वयं सहायता समूह,  
राणासर, मुकुन्दगढ़, झुंझुनू।

विषय :- स्वयं सहायता समूह योजना में ऋण स्वीकृति बाबत।

महोदय,

आप द्वारा रु. 300000/- का ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था। आप द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र एवं शाखा प्रबन्धक द्वारा की सिफारिश के आधार पर आपके स्वयं सहायता समूह के पक्ष में 300000 रु. (अक्षरे तीन लाख रु. मात्र) का ऋण निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

1. ऋण अग्रिम करने से पूर्व स्वयं सहायता समूह को बैंक का नोमिनल सदस्य बनाना होगा। जिसमें 11.00 रु. का सदस्यता शुल्क के देने होंगे।
2. ऋण राशि का भुगतान समूह के नाम से समूह के अधिकृत व्यक्तियों को किया जावेगा।
3. आप द्वारा प्रस्तुत करार नामे की सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
4. इस ऋण पर 13 प्रतिशत ब्याज दर अर्द्धवार्षिक आधार पर देय होगी। ऋण अवधिपार होने की दशा में 5 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देय होगा। बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर एवं अन्य नियमों का पालन करना होगा।
5. वस्तु/सम्पति एवं आपके लेखों का भौतिक सत्यापन/जांच आदि करने का अधिकार बैंक के अधिकारियों को होगा।
6. आपके समूह की जो बचत है वह ऋण पेटे बैंक के दृष्टि बन्धक के रूप में रहेगी।
7. यह समस्त ऋण एक माह की स्थगन अवधि शामिल करते हुये 23 बराबर मासिक किस्तों में मय ब्याज के चुकाया जावेगा।
8. ऋण व ब्याज की सभी किस्ते समय पर ही जमा करानी होगी।
9. ऋण राशि समूह के बचत खाते के माध्यम से की जावेगी।
10. इस ऋण से अर्जित सम्पति का निरीक्षण बैंक के अधिकारियों या बैंक द्वारा कोई भी नियुक्त प्रतिनिधि, नाबार्ड एवं शीर्ष बैंक के अधिकारियों को करने का पूर्ण अधिकार होगा। बैंक द्वारा समय-2 पर निर्धारित शर्तों का पालन एवं पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।
11. शाखा प्रबन्धक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर संबंधित दस्तावेज आपको शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
12. आपको बैंक द्वारा निर्धारित उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं तो आप सम्बन्धित शाखा में उपस्थित होकर ऋण पत्रादि पूर्ण कर ऋण पाने की कार्यवाही करें।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :-जेकेएसबी/आवि/2015-16/

दिनांक :-

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अधिशाषी अधिकारी, बैंक।
2. शाखा प्रबन्धक, शाखा मुकुन्दगढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त ऋण आपकी अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अतः योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ण पालना करते हुये ऋण पत्रादि पूर्ण करवाने के पश्चात पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही नियमानुसार ऋण वितरण की कार्यवाही करावें।
3. ऋण पत्रावली .....

प्रबन्ध निदेशक

# झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

क्रमांक :-जेकेएसबी/आवि/2012-13/

दिनांक :-

अध्यक्ष/व्यवस्थापक,

हंसासरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,।

विषय :- स्वयं सहायता समूह योजना में ऋण स्वीकृति बाबत।

प्रसंग :- समिति द्वारा शाखा बिसाऊ में प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र।

महोदय,

आप द्वारा रु. 160000/- का ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था। आप द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र एवं शाखा प्रबन्धक द्वारा की सिफारिश के आधार पर कुमकुम महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण हेतु आपकी समिति के पक्ष में 160000 रु. (अक्षरे एक लाख साठ हजार रु. मात्र) का ऋण निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

1. ऋण अग्रिम करने से पूर्व स्वयं सहायता समूह को समिति का नोमिनल सदस्य बनाना होगा। जिसमें 11.00 रु. का सदस्यता शुल्क के देने होंगे।
2. ऋण राशि का भुगतान समिति के माध्यम से समूह के नाम से समूह के अधिकृत व्यक्तियों को किया जावेगा।
3. आप द्वारा प्रस्तुत करार नामे की सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
4. इस ऋण पर 13 प्रतिशत ब्याज दर अर्द्धवार्षिक आधार पर देय होगी। बैंक द्वारा समिति से 11.40 प्रतिशत तथा समिति द्वारा समूह से 13 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जावेगा। ऋण अवधिपार होने की दशा में 5 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देय होगा। बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर एवं अन्य नियमों का पालन करना होगा।
5. वस्तु/सम्पति एवं आपके लेखों का भौतिक सत्यापन/जांच आदि करने का अधिकार बैंक के अधिकारियों को होगा।
6. आपके समूह की जो बचत है वह ऋण पेटे बैंक/समिति के दृष्टि बन्धक के रूप में रहेगी।
7. यह समस्त ऋण एक माह की स्थगन अवधि शामिल करते हुये 23 बराबर मासिक किस्तों में मय ब्याज के चुकाया जावेगा।
8. ऋण व ब्याज की सभी किस्तें समय पर ही जमा करानी होगी।
9. ऋण राशि समिति के बचत खाते के माध्यम से समूह को वितरित की जावेगी।
10. इस ऋण से अर्जित सम्पति का निरीक्षण बैंक के अधिकारियों या बैंक द्वारा कोई भी नियुक्त प्रतिनिधि, नाबार्ड एवं शीर्ष बैंक के अधिकारियों को करने का पूर्ण अधिकार होगा। बैंक द्वारा समय-2 पर निर्धारित शर्तों का पालन एवं पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।
11. शाखा प्रबन्धक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर संबंधित दस्तावेज आपको शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
12. आपको बैंक द्वारा निर्धारित उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं तो आप सम्बन्धित शाखा में उपस्थित होकर ऋण पत्रादि पूर्ण कर ऋण पाने की कार्यवाही करें।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :-जेकेएसबी/आवि/2012-13/

दिनांक :-

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अधिशाषी अधिकारी, बैंक।

2. शाखा प्रबन्धक, शाखा बिसाऊ को भेजकर लेख है कि उक्त ऋण आपकी अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अतः योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ण पालना करते हुये ऋण पत्रादि पूर्ण करवाने के पश्चात पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही नियमानुसार ऋण वितरण की कार्यवाही करावें।

3. ऋण पत्रावली .....

प्रबन्ध निदेशक

# झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

क्रमांक :-जेकेएसबी/आवि/2012-13/

दिनांक :-

अध्यक्ष/सचिव,

अंगुरी संयुक्त दायित्व समूह, ढाकामाण्डी, सिंघाना।

विषय :- संयुक्त उत्तरदायित्व समूह योजना में ऋण स्वीकृति बाबत।

महोदय,

आप द्वारा रु. 80000/- का ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था। आप द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र एवं शाखा प्रबन्धक द्वारा की सिफारिश के आधार पर आपके समूह को के पक्ष में 80000 रु. (अक्षरे अस्सी हजार रु. मात्र) का ऋण निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

1. ऋण अग्रिम करने से पूर्व समूह को समिति का नोमिनल सदस्य बनाना होगा। नियमानुसार सदस्यता शुल्क जमा करवाना होगा।
2. ऋण राशि का भुगतान समिति के माध्यम से समूह के नाम से समूह के अधिकृत व्यक्तियों को किया जावेगा।
3. आप द्वारा प्रस्तुत करार नामे की सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
4. इस ऋण पर 13 प्रतिशत ब्याज दर अर्द्धवार्षिक आधार पर देय होगी। बैंक द्वारा समिति से 11.40 प्रतिशत तथा समिति द्वारा समूह से 13 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जावेगा। ऋण अवधिपार होने की दशा में 5 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देय होगा। बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर एवं अन्य नियमों का पालन करना होगा।
5. वस्तु/सम्पति एवं आपके लेखों का भौतिक सत्यापन/जांच आदि करने का अधिकार बैंक के अधिकारियों को होगा।
6. आपके समूह की जो बचत है वह ऋण पेटे बैंक/समिति के दृष्टि बन्धक के रूप में रहेगी।
7. यह समस्त ऋण एक माह की स्थगन अवधि शामिल करते हुये 59 बराबर मासिक किस्तों में मय ब्याज के चुकाया जावेगा।
8. ऋण व ब्याज की सभी किस्तें समय पर ही जमा करानी होगी।
9. ऋण राशि समिति के बचत खाते के माध्यम से समूह को वितरित की जावेगी।
10. इस ऋण से अर्जित सम्पति का निरीक्षण बैंक के अधिकारियों या बैंक द्वारा कोई भी नियुक्त प्रतिनिधि, नाबार्ड एवं शीर्ष बैंक के अधिकारियों को करने का पूर्ण अधिकार होगा। बैंक द्वारा समय-2 पर निर्धारित शर्तों का पालन एवं पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।
11. शाखा प्रबन्धक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर संबंधित दस्तावेज आपको शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
12. आपको बैंक द्वारा निर्धारित उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य है तो आप सम्बन्धित शाखा में उपस्थित होकर ऋण पत्रादि पूर्ण कर ऋण पाने की कार्यवाही करें।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :-जेकेएसबी/आवि/2012-13/

दिनांक :-

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अधिशाषी अधिकारी, बैंक।

2. शाखा प्रबन्धक, शाखा सिंघाना को भेजकर लेख है कि उक्त ऋण आपकी अनुशंषा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अतः योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ण पालना करते हुये ऋण पत्रादि पूर्ण करवाने के पश्चात पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही नियमानुसार ऋण वितरण की कार्यवाही करावें।

3. ऋण पत्रावली .....।

प्रबन्ध निदेशक

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

अध्यक्ष /व्यवस्थापक,

बसावा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,।

विषय :- संयुक्त उत्तरदायित्व समूह योजना में ऋण स्वीकृति बाबत।

प्रसंग :- समिति द्वारा शाखा नवलगढ़ में प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र।

महोदय,

आप द्वारा रु. 100000/- का ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था। आप द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र एवं शाखा प्रबन्धक द्वारा की सिफारिश के आधार पर सुन्दरदास संयुक्त उत्तरदायित्व समूह को के पक्ष में 100000 रु. (अक्षरे एक लाख रु. मात्र) का ऋण निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

1. ऋण अग्रिम करने से पूर्व समूह को समिति का नोमिनल सदस्य बनाना होगा। नियमानुसार सदस्यता शुल्क जमा करवाना होगा।
2. ऋण राशि का भुगतान समिति के माध्यम से समूह के नाम से समूह के अधिकृत व्यक्तियों को किया जावेगा।
3. आप द्वारा प्रस्तुत करार नामे की सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
4. इस ऋण पर 13 प्रतिशत ब्याज दर अर्द्धवार्षिक आधार पर देय होगी। बैंक द्वारा समिति से 11.40 प्रतिशत तथा समिति द्वारा समूह से 13 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जावेगा। ऋण अवधिपार होने की दशा में 5 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देय होगा। बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर एवं अन्य नियमों का पालन करना होगा।
5. वस्तु/सम्पति एवं आपके लेखों का भौतिक सत्यापन/जांच आदि करने का अधिकार बैंक के अधिकारियों को होगा।
6. आपके समूह की जो बचत है वह ऋण पेटे बैंक/समिति के दृष्टि बन्धक के रूप में रहेगी।
7. यह समस्त ऋण एक माह की स्थगन अवधि शामिल करते हुये 23 बराबर मासिक किस्तों में मय ब्याज के चुकाया जावेगा।
8. ऋण व ब्याज की सभी किस्तें समय पर ही जमा करानी होगी।
9. ऋण राशि समिति के बचत खाते के माध्यम से समूह को वितरित की जावेगी।
10. इस ऋण से अर्जित सम्पति का निरीक्षण बैंक के अधिकारियों या बैंक द्वारा कोई भी नियुक्त प्रतिनिधि, नाबार्ड एवं शीर्ष बैंक के अधिकारियों को करने का पूर्ण अधिकार होगा। बैंक द्वारा समय-2 पर निर्धारित शर्तों का पालन एवं पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।
11. शाखा प्रबन्धक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर संबंधित दस्तावेज आपको शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
12. आपको बैंक द्वारा निर्धारित उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं तो आप सम्बन्धित शाखा में उपस्थित होकर ऋण पत्रादि पूर्ण कर ऋण पाने की कार्यवाही करें।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :-जेकेएसबी /आवि /2012-13 /

दिनांक :-

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अधिशाषी अधिकारी, बैंक।

2. शाखा प्रबन्धक, शाखा नवलगढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त ऋण आपकी अनुशंषा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अतः योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ण पालना करते हुये ऋण पत्रादि पूर्ण करवाने के पश्चात पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही नियमानुसार ऋण वितरण की कार्यवाही करावें।

3. ऋण पत्रावली .....।

प्रबन्ध निदेशक

**झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू**

अध्यक्ष/सचिव,

विषय :- स्वयं सहायता समूह योजना में ऋण स्वीकृति बाबत।

महोदय,

आप द्वारा रु. का ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था। आप द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र एवं शाखा प्रबन्धक द्वारा की सिफारिश के आधार पर आपके स्वयं सहायता समूह के पक्ष में रु. (अक्षरे रु. मात्र) का ऋण निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

1. ऋण अग्रिम करने से पूर्व स्वयं सहायता समूह को बैंक का नोमिनल सदस्य बनाना होगा। जिसमें 11.00 रु. का सदस्यता शुल्क के देने होंगे।
2. ऋण राशि का भुगतान समूह के नाम से समूह के अधिकृत व्यक्तियों को किया जावेगा।
3. आप द्वारा प्रस्तुत करार नामे की सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
4. इस ऋण पर 13 प्रतिशत ब्याज दर अर्द्धवार्षिक आधार पर देय होगी। ऋण अवधिपार होने की दशा में 5 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देय होगा। बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर एवं अन्य नियमों का पालन करना होगा।
5. वस्तु/सम्पत्ति एवं आपके लेखों का भौतिक सत्यापन/जांच आदि करने का अधिकार बैंक के अधिकारियों को होगा।
6. आपके समूह की जो बचत है वह ऋण पेटे बैंक के दृष्टि बन्धक के रूप में रहेगी।
7. यह समस्त ऋण एक माह की स्थगन अवधि शामिल करते हुये 23 बराबर मासिक किस्तों में मय ब्याज के चुकाया जावेगा।
8. ऋण व ब्याज की सभी किस्तें समय पर ही जमा करानी होगी।
9. ऋण राशि समूह के बचत खाते के माध्यम से की जावेगी।
10. इस ऋण से अर्जित सम्पत्ति का निरीक्षण बैंक के अधिकारियों या बैंक द्वारा कोई भी नियुक्त प्रतिनिधि, नाबार्ड एवं शीर्ष बैंक के अधिकारियों को करने का पूर्ण अधिकार होगा। बैंक द्वारा समय-2 पर निर्धारित शर्तों का पालन एवं पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।
11. शाखा प्रबन्धक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर संबंधित दस्तावेज आपको शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
12. आपको बैंक द्वारा निर्धारित उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य है तो आप सम्बन्धित शाखा में उपस्थित होकर ऋण पत्रादि पूर्ण कर ऋण पाने की कार्यवाही करें।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :-जेकेएसबी/आवि/2013-14/

दिनांक :-

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अधिशाषी अधिकारी, बैंक।
2. शाखा प्रबन्धक, शाखा मुकुन्दगढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त ऋण आपकी अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अतः योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ण पालना करते हुये ऋण पत्रादि पूर्ण करवाने के पश्चात पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही नियमानुसार ऋण वितरण की कार्यवाही करावें।
3. ऋण पत्रावली .....।

प्रबन्ध निदेशक